रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032021-225590 CG-DL-E-02032021-225590

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 903] No. 903] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

### विदेश मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली. 1 मार्च. 2021

का.आ. 977(अ).—भारत गणराज्य और अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के मध्य प्रत्यर्पण संधि पर 14जनवरी, 2016 के नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे तथा उक्त संधि के अनुसमर्थन की लिखत का काबुल में 24 नवंबर, 2019 को आदान-प्रदान किया गया था।

और, उक्त संधि के अनुच्छेद 22 के पैरा (2) के उपबंधों के अनुसार 24 नवंबर, 2019 से उक्त संधि प्रवृत्त हुई;

और, उक्त प्रत्यर्पण संधि, इस आदेश की अनुसूची में पूर्ण रूप से उपवर्णित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के साथ पठित उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अध्याय-3 के उपबंधों से भिन्न उपबंध, उक्त प्रत्यर्पण संधि के प्रवर्तन में आने की तारीख से अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य को लागू होंगे।

1309 GI/2021 (1)

### अनुसूची

#### भारत गणराज्य

#### तथा

### अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य

### के बीच

### प्रत्यर्पण संधि

भारत गणराज्य की सरकार तथा अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसके बाद से "संविदाकारी राष्ट्र' कहा गया है,

अपराधों को कम करने के लिए अपराधियों के पारस्परिक प्रत्यर्पण संबंधी एक संधि करके दोनों देशों के बीच अधिक प्रभावी सहयोग प्रदान करने की इच्छा से ;

यह मानते हुए कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने आवश्यक हैं ;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं।

### अनुच्छेद 1- प्रत्यर्पण का दायित्व

- 1. प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्र, इस संधि में उल्लिखित परिस्थितियों और शर्तों के अध्यधीन, किसी व्यक्ति, जो अनुच्छेद 2 में यथावर्णित एक राष्ट्र के भू- भाग के भीतर किए गए प्रत्यर्पणीय अपराध का अभियुक्त अथवा सिद्धदोष है, अन्य राष्ट्र के भू- भाग के भीतर पाया जाता है, चाहे ऐसा अपराध इस संधि के लागू होने से पहले किया गया अथवा बाद में, को दूसरे राष्ट्र को प्रत्यर्पण करने का वचन देता है।
- 2. प्रत्यर्पण अनुच्छेद 2 में वर्णित अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भू भाग के बाहर किंतु जिसपर उसका अधिकार है , किए गए अपराध के लिए भी उपलब्ध होगा यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र का समान परिस्थितियों में ऐसे अपराध पर न्यायाधिकार होगा। ऐसी परिस्थितियों में अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र अपराध की गंभीरता सहित मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा।
- 3. इसके अतिरिक्त , प्रत्यर्पण अनुच्छेद 2 में यथावर्णित प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए उपलब्ध होगाः
- (क) यदि अपराध अनुरोधकर्ता राष्ट्र के राष्ट्रिक द्वारा किसी तीसरे राष्ट्र में किया जाता है और अनुरोधकर्ता राष्ट्र अपराधी की राष्ट्रीयता पर अपना अधिकार मानता हो; तथा
- (ख) यदि अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में किया गया हो , तो वह उस राष्ट्र के कानून के तहत ऐसा अपराध हो जिसके लिए कम से कम एक वर्ष की सजा दी जा सकती है ।

# अनुच्छेद 2 - प्रत्यर्पणीय अपराध

- 1. इस संधि के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्पणीय अपराध वह आचरण होगा, जो प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्र के कानूनों के तहत कम से कम एक वर्ष के कारावास के दंडनीय हो ।
- 2. कोई भी अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध हो सकता है चाहे वह कराधान अथवा राजस्व से संबंधित हो अथवा शुद्धतः वित्तीय अपराध हो।
- 3. यह निर्धारण करने में कि कोई अपराध दोनों संविदाकारी राष्ट्रों के कानूनों के तहत दंडनीय है अथवा नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि संविदाकारी राष्ट्र के कानून के तहत वह कार्य या अनाचरण अपराध अथवा समान श्रेणी के अपराधों में आता है अथवा नहीं या उस अपराध का उल्लेख समान शब्दावली में हो या नहीं।

भारत का राजपत्र : असाधारण

4. प्रत्यर्पण , प्रत्यर्पणीय अपराध करने के प्रयास अथवा उसमें सहायता करने, दुष्प्रेरित करने, उकसाने अथवा सहअपराधी के रूप में उसमें शामिल होने के लिए भी प्रदान किया जाएगा।

### अनुच्छेद 3 - मिश्रित अपराध

प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा, यदि मांगे गए व्यक्ति का आचरण पूरी तरह से अथवा आंशिक तौर पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में किया गया हो, यदि उस राष्ट्र के कानून के तहत यह आचरण तथा उसके प्रभाव, अथवा उसके अभिप्रेत प्रभाव, संपूर्णता में, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के भू - भाग में प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में देखे जाते हैं।

### अनच्छेद 4 . केंद्रीय प्राधिकारी

भारत गणराज्य के लिए केंद्रीय प्राधिकारी विदेश मंत्रालय होगा और अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के लिए केंद्रीय प्राधिकारी उनका विदेश मंत्रालय होगा। प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्र केंद्रीय प्राधिकारी में किसी भी परिवर्तन के बारे में राजनयिक माध्यमों के जरिए दूसरे संविदाकारी राष्ट्र को सूचित करेगा।

### अनुच्छेद 5 - राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

इस संधि में कही गई कोई बात अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र दवारा अपने राष्ट्रिकों के प्रत्यर्पण को न तो भू - भागीय अपराध के संबंध मै और न ही भू - भाग से बाहर के अपराध के संबंध में बाधित नहीं करेगी।

## अनुच्छेद 6 - राजनीतिक अपराध अपवाद

- 1. यदि अपराध राजनीतिक स्वरूप का अपराध है तो अनुरोध किए गए प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है।
- 2. इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनीतिक चरित्र का अपराध नहीं माना जाएगाः
- (क) कन्वेन्शन फॉर दि सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल सीज़र ऑफ एयरक्राफ्ट , जिसपर हेग में 16 दिसम्बर , 1970 को हस्ताक्षर शुरू किए गए , के दायरे के भीतर कोई अपराध ;
- (ख) कन्वेन्शन फॉर दि सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेन्स्ट दि सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन , जिसपर मांट्रियल में दिनांक 23 सितम्बर , 1971 को हस्ताक्षर शुरू किए गए , के दायरे के भीतर कोई अपराध ;
- (ग) कन्वेन्शन ऑन दि प्रवेन्शन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम्स अगेन्स्ट इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड पर्सन्स इन्क्लूडिंग डिप्लोमेटिक एजेंट्स , जिसपर न्यूयॉर्क में दिनांक 14 दिसम्बर , 1973 को हस्ताक्षर शुरू किए गए , के दायरे के भीतर कोई अपराध ;
- (घ) इंटरनेशनल कन्वेन्शन अगेन्स्ट दि टेकिंग ऑफ होस्टेजेज़, जिसपर न्यूयॉर्क में दिनांक 18 दिसम्बर , 1989 को हस्ताक्षर शुरू किए गए , के दायरे के भीतर कोई अपराध ;
- (ड) हत्या,
- (च) मानव हत्या अथवा आपराधिक मानव वध ;
- (छ) वास्तविक रूप से शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले अथवा जख्मी करने वाला हमला , विद्वेषपूर्ण तरीके से जख्मी करना अथवा गंभीर रूप से शारीरिक क्षति पहुंचाना चाहे हथियार , किसी खतरनाक पदार्थ अन्यथा से किया गया हो ;
- (ज) विस्फोट का कारण बनना जिससे जीवन के लिए खतरे की अथवा संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना हो ;

- (झ) किसी व्यक्ति , जो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जीवन के लिए खतरा हो अथवा संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाए के द्वारा विस्फोटक पदार्थ बनाना अथवा उसके कब्जे में होना ,
- (ञ) किसी व्यक्ति , जो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जीवन के लिए खतरा हो , के द्वारा आग्नेय अस्त्र अथवा गोला - बारूद रखना ;
- (ट) किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की अथवा किसी अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी अथवा कैद का विरोध करने अथवा उसमें रुकावट बनने के इरादे से आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल :
- (ठ) जीवन को खतरे में डालने अथवा दुस्साहसी अनादर के इरादे से सार्वजनिक उपयोगिता अथवा अन्यथा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति को क्षति पहुंचाना जिससे अन्य व्यक्तियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा ;
- ( ड़ ) बंधक बनाने सहित अपहरण , अपवर्तन , गलत कारावास अथवा गैर कानूनी कैद ;
- (ढ) हत्या के लिए उकसाना ;
- (ण) आतंकवाद से संबंधिक कोई अन्य अपराध जिसे अनुरोध के समय , अनुरोधकर्ता पक्ष का कानून के अंतर्गत राजनीतिक चरित्र का अपराध नहीं समझा जाता है ;
- (त) उपर्युक्त किसी भी अपराधों को करने का प्रयास अथवा षडयंत्र अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के सहअपराधी के रूप में अपराध में भागीदारी जो इस तरह का अपराध करता है अथवा करने का प्रयास करता है ;
- (थ) कोई भी कृत्य अथवा अनाचरण जो बहुपक्षीय संधियों, दोनों संविदाकारी राष्ट्र जिनके पक्ष हैं, के अंतर्गत बाध्यताओं के अनुसार आपराधिक कृत्य के रूप में दंडनीय है।

### अनुच्छेद 7 - प्रत्यर्पण एवं अभियोजन

- 1. यदि जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया है , उसपर उस राष्ट्र के न्यायालयों में प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।
- 2. जब अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र इस अनुच्छेद के पैरा 1 में दिए गए कारण से प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार करता है तो वह इस मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा तािक अभियोजन पर विचार किया जा सके। वे प्राधिकारी उसी तरीके से अपना निर्णय लेंगे जिस तरह से उस राष्ट्र के कानून के अंतर्गत गंभीर स्वरूप के किसी अपराध के मामले में लिया जाता है।
- 3. यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि इस तरह के मामले में अभियोजन न चलाया जाए तो प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध पर इस संधि के अनुसार पुनर्विचार किया जाएगा।

# अनुच्छेद 8 - प्रत्यर्पण की अस्वीकृति के लिए आधार

- 1. किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता यदिः
- (क) वह अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र को इस बात के लिए संतुष्ट करता है कि सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए , उसे निम्नलिखित कारण से प्रत्यर्पण करना अन्यायपूर्ण अथवा दमनात्मक होगाः
- (i) अपराध का तुच्छ स्वरूप जिसके लिए उसे अभियुक्त बनाया गया अथवा दोषसिद्ध किया गया था ; अथवा
- (ii) समय व्यतिक्रम जब से उस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है अथवा वह गैर कानूनी रूप से फरार हो गया है , जैसा भी मामला हो ; अथवा

- (iii) न्याय के हित में उसके विरुद्ध नेकनीयति से न किया गया दोषारोपण ; अथवा
- (ख) जिस अपराध के लिए उस पर अभियोग लगाया गया है अथवा दोषसिद्ध किया गया है , कोई सैन्य अपराध हो क्योंकि वह भी सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत कोई अपराध नहीं है।
- 2. किसी व्यक्ति जिसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो , उसे उसके लिए प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे 4 माह अथवा अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा अथवा अन्य रूप में कैद न किया गया हो।
- 3. यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए , जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है , अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के भू - भाग में कार्रवाई की जाती है , उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता यदि वह पिछले दोषमोचन अथवा दोषसिद्धि से संबंधित अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के किसी भी कानून के अंतर्गत रिहा किए जाने के लिए हकदार होगा।

### अनुच्छेद 9 - समर्पण का स्थगन

- 1. यदि प्रत्यर्पण के लिए मांगे गए व्यक्ति के विरुद्ध अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के भू भाग में आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाती है अथवा उसे आपराधिक कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कानुनी तौर पर रोककर रखा जाता है तो उसका प्रत्यर्पण किया जाए अथवा नहीं इस फैसले को तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक कि आपराधिक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती अथवा उस व्यक्ति को आगे और अधिक रोककर नहीं रखा जाता।
- 2. प्रत्यर्पण के लिए अपेक्षित व्यक्ति को तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक कि :
- (क) अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुसार यह निर्णय नहीं ले लिया जाता कि वह प्रत्यर्पण किए जाने योग्य है ; और द्वारा वांछित
- (ख) आगे कोई अवधि समाप्त नहीं हो जाती जिसकी उस राष्ट्र के कानून के द्वारा वांछित हो ।

### अनुच्छेद 10 - प्रत्यर्पण कार्यप्रक्रिया

- 1. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए किया जाएगा।
- 2. अनुरोध निम्नलिखित के साथ भेजा जाएगाः
- (क) अपेक्षित व्यक्ति का यथासंभव सटीव विवरण , साथ ही कोई अन्य सूचना जिससे उसकी पहचान , राष्ट्रीयता और निवास के बारे में पृष्टि करने में सहायता मिले,
- (ख) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उसके तथ्यों का एक विवरण . और
- (ग) कानून का मूल पाठ, यदि कोई होः
- (i) जो उस अपराध को परिभाषित करे , और
- (ii) उस अपराध के लिए अधिकतम सजा निर्धारित करे।
- 3. यदि अनुरोध किसी अभियुक्त व्यक्ति से संबंधित है तो इसके साथ अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भूक्षेत्र में किसी न्यायाधीश , मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट भी अवश्य लगाया जाना चाहिए और इस प्रकार के साक्ष्य द्वारा अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुसार उस पर मुकदमा चलाने हेतु उसके अपराध को साबित करे , यदि वह अपराध अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के भूक्षेत्र में किया गया हो जिनमें यह साक्ष्य भी शामिल होगा कि प्रत्यर्पण हेत् अनुरोध किया गया वह व्यक्ति वही है जिसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

- 4. यदि अनुरोध पहले से किसी दोषसिद्ध अथवा सजायाफ्ता व्यक्ति से संबंधित है, तो इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे:
- (क) दोषसिद्धि तथा सजा संबंधी प्रमाणपत्र ;
- (ख) एक विवरण जिसमें यह उल्लेख हो कि वह व्यक्ति अपनी दोषसिद्धि अथवा सजा के बारे में प्रश्न करने का हकदार नहीं है और जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उसने कितनी सजा काट ली है ।
- 5. ऐसे किसी दोषारोपित व्यक्ति के संबंध में जो मुकदमे के समय उपस्थित नहीं था , उस व्यक्ति को इस अनुच्छेद के पैरा (4) के प्रयोजनार्थ ऐसा समझा जाएगा कि उस पर उस अपराध का आरोप लगाया गया है जिसके लिए वह दोषारोपित है ।
- 6. यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र यह समझता है कि इस संधि के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किए गए साक्ष्य अथवा सूचना पर्याप्त नहीं है ताकि किए गए अनुरोध से संबंधित कोई निर्णय लिया जा सके , ऐसी समयसीमा के भीतर अतिरिक्त साक्ष्य अथवा सूचना प्रस्तुत की जाएगी जो अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा अपेक्षित हो ।

### अनुच्छेद 11. अंतःकालीन गिरफ्तारी

- 1. अत्यावश्यक मामलों में अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुसार वांछित व्यक्ति की अनुरोधकर्ता राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारियों के आवेदन पर अंतःकालीन गिरफ्तारी की जा सकती है।
- 2. अंतःकालीन गिरफ्तारी हेत् आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजे जाएंगे :
- (क) उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध किए जाने की मंशा ;
- (ख) अत्यावश्यकता के कारण संबंधी विवरण ;
- (ग) उस व्यक्ति की पहचान , नागरिकता तथा संभावित स्थान से संबंधित सूचना और उस व्यक्ति का ब्यौरा ;
- (घ) उस अपराध का संक्षिप्त ब्यौरा और उसके लिए निर्धारित दंड ;
- (ङ) उस मामले की वस्तुस्थिति संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा , जिसमें यदि संभव हो , तो अपराध का समय तथा स्थान का उल्लेख हो ;
- (च) उस व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट होने अथवा दोषसिद्धि संबंधी फैसले का ब्यौरा।
- 3. अनुरोधकर्ता राष्ट्र को उसके अनुरोध के संबंध में अविलंब परिणाम की सूचना दी जाएगी।
- 4. इस प्रकार के आवेदन पर गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसे गिरफ्तार किए जाने की तिथि से 60 दिन समाप्त होते ही रिहा कर दिया जाएगा यदि उसके प्रत्यर्पण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है । यदि तत्पश्चात कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो यह प्रावधान उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण हेतु आगे की कार्यवाही करने संबंधी प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगा ।

### अनुच्छेद 12 - विशिष्टता का नियम

- 1. ऐसे किसी व्यक्ति पर जो अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भूक्षेत्र में लौट आया हो उस पर इस संधि के अंतर्गत इस अनुच्छेद के पैरा (2) में वर्णित अविध के दौरान अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भूक्षेत्र में ऐसे किसी अपराध के लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी जो उस भूक्षेत्र में लौटने से पूर्व किया गया हो , सिवाय :
- (क) उस अपराध के लिए जिसके लिए वह लौटा हो ;

- (ख) उसके वापस लौटने के प्रयोजनार्थ साबित किए गए तथ्यों द्वारा प्रकटित कम गंभीर अपराध , जो ऐसे अपराध के अलावा हो जिसके लिए उसके लौटने के बाबत कानूनी तरीके से आदेश दिया जा सके ; अथवा
- (ग) कोई अन्य अपराध जिसके संबंध में अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार ऐसे किसी अपराध को छोड़कर उससे निपटने हेतु सहमति प्रदान करे जिसके लिए उसके लौटने के बाबत कानूनी तरीके से आदेश दिया जा सके अथवा वस्तुत : आदेश न दिया जा सके।
- 2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में संदर्भित अवधि वह अवधि है जिसका आरंभ उसके अनुरोधकर्ता राष्ट्र की सीमा में आगमन के दिन अथवा इस संधि के तहत उसकी वापसी के दिन है और समाप्ति उसके अनुरोधकर्ता राष्ट्र की सीमा को छोड़ देने के प्रथम अनुवर्ती दिवस के बाद के पैंतालिस दिन हैं।
- 3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के प्रावधान इस संधि के तहत किसी व्यक्ति की वापसी के बाद किए गए अपराधों अथवा ऐसे अपराधों के संबंध में उत्पन्न मामलों पर लागू नहीं होंगे ।
- 4. किसी व्यक्ति को किसी तीसरे राष्ट्र को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा, सिवाए उस स्थिति में जब उसके पास उस राष्ट्र के भू क्षेत्र से निकलने का अवसर हो, जहां उसने अभ्यर्पित किया है, परंतु उसने अपनी अंतिम रिहाई की तिथि से साठ दिनों के भीतर ऐसा न किया हो अथवा उस भू क्षेत्र से निकलने के बाद वापस लौट आया हो।

### अनुच्छेद 13 - साक्ष्य

- 1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यर्पण की किसी कार्यवाही में शपथ पर अथवा अभिपृष्टि के माध्यम से लिया गया कोई सबूत , कोई वारंट तथा एक अपराध को सिद्ध करने वाले तथ्यों का उल्लेख करने वाले तथ्यों का उल्लेख करने वाले किसी प्रमाण पत्र अथवा न्यायिक दस्तावेज निम्नलिखित में प्रामाणिक होने पर सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगाः
- (क) ऐसे मामले में जहां वारंट पर हस्ताक्षर हों अथवा ऐसे मामलों में जहां मूल दस्तावेज को अनुरोधकर्ता राष्ट्र के न्यायाधीश , मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो , तथा
- (ख) कुछ गवाहों की शपथ द्वारा अथवा अनुरोधकर्ता राष्ट्र के उचित मंत्री की अधिकारी मोहर के साथ मोहरबंद करके ; अथवा
- (ग) ऐसे किसी तरीके से जो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून द्वारा अनुमत किया गया हो ।
- 2. पैराग्राफ (1) में उल्लिखित साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में प्रत्यर्पण कार्यवाइयों में स्वीकार्य होना चाहिए , चाहे वह अनुरोधकर्ता राष्ट्र अथवा किसी तीसरे राष्ट्र में शपथबद्ध अथवा अभिपुष्टि प्राप्त हो ।

# अनुच्छेद 14 - प्रतिस्पर्धा अनुरोध

यदि एक संविदाकारी राष्ट्र से तथा एक तीसरे राष्ट्र जिसका अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के साथ प्रत्यर्पण करार है, से समान अपराध अथवा किसी अन्य अपराध के लिए एक व्यक्ति के प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र निर्धारित करेगा कि किस राष्ट्र को वह व्यक्ति प्रत्यर्पित किया जाए तथा वह संविदाकारी राष्ट्र को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

# अनुच्छेद 15 – मृत्युदंड

यदि अनुरोधकर्ता राष्ट्र के कानून के तहत मांग किए गए व्यक्ति को उसके अपराध, जिसके कारण उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है; के लिए मृत्युदंड दिया जाना है, परंतु अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र का कानून समान अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं प्रदान करता है, तो प्रत्यर्पण से तब तक इन्कार किया जा सकता है जब तक अनुरोधकर्ता राष्ट्र।

अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र को ऐसा आश्वासन न प्रदान कर दे , जिसे वे मृत्युदंड न दिए जाने के लिए पर्याप्त समझता हो ।

### अनुच्छेद 16 - भाषाएं

इस संधि का अनुपानल करते समय , संविदाकारी पक्षकार पाठ का अंग्रेजी भाषा में प्रमाणित अनुवाद संलग्न करते अपनी राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं ।

### अनुच्छेद 17 - अभ्यर्पण

- 1. यदि प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी गई है तो मांग किए गए व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के प्राधिकारियों द्वारा उस राष्ट्र के भूक्षेत्र से प्रस्थान के ऐसे सुविधाजनक बिन्दु तक भेजा जाएगा जैसा कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र ने सूचित किया हो ।
- 2. अनुरोधकर्ता राष्ट्र मांग किए गए व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के प्रदेश से एक महीने के भीतर अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के तहत अनुमत अधिक अविध में हटा सकता है। यदि उस व्यक्ति को उक्त अविध के भीतर नहीं हटाया गया तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र उसे उस अपराध के लिए प्रत्यर्पित करने से इन्कार कर सकता है।

### अनुच्छेद 18 - संपत्ति का अभ्यर्पण

- 1. जब प्रत्यर्पण के अनुरोध की अनुमित दे दी जाती है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र अनुरोध किए जाने पर तथा जितना कानून अनुमित दे , अपराध के साक्ष्य अथवा सबूत के रूप में काम आने वाली वस्तुओं (धनाशि सिहत ) को अनुरोधकर्ता राष्ट्र को सौंपेगा।
- 2. यदि संबंधित उपकरणों को अनुरोध किए गए देश में जब्त करने अथवा पकड़े जाने की संभावना है , तो अनुरोधकर्ता देश लंबित कार्यवाहियों के संबंध में अस्थाई तौर पर उसे अपने पास रख सकता है अथवा इस आश्वासन के साथ कि उसे बाद में लौटा दिया जाएगा , उनके सुपुर्द कर देगा।
- 3. ये प्रावधान अनुरोध किए गए देश अथवा मांग किए गए व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। जब ये अधिकार विद्यमान होंगे तो कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् शीघतम उन उपकरणों को बिना किसी आरोप के अनुरोध किए गए देश को लौटा दिया जाएगा।

# अनुच्छेद 19 - प्रत्यर्पण में परस्पर कानूनी सहायता

प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्र , अपने कानून द्वारा दी गई अनुमित की हद तक अनुरोध किए गए प्रत्यर्पण हेतु अपराधों से जुड़े आपराधिक मामलों में एक - दूसरे के लिए परस्पर सहायता के विस्तृत उपाय करेगा ।

# अनुच्छेद 20 - दस्तावेज तथा व्यय

- 1. यदि किसी विशेष मामले में अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र आवश्यक समझता है तो इस संधि के प्रावधानों के अनुसार अनुरोधकर्ता राष्ट्र उन्हें किसी भी दस्तावेज का अनुवाद प्रदान करेगा।
- 2. प्रत्यर्पण हेतु किए गए अनुरोध के कारण अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के भू क्षेत्र में हुए किसी भी व्यय का वहन वही राष्ट्र करेगा।
- 3. इस अनुरोध से उत्पन्न किसी भी कार्यवाही में अनुरोधकर्ता राष्ट्र के प्रस्तुतीकरण के संबंध में किए सभी व्यवस्थाएं अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के द्वारा की जाएंगी।

# अनुच्छेद 21 - अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों / संधियों के तहत बाध्यताएं

मौजूदा संधि अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों / संधियों से उत्पन्न होने वाले अधिकारों तथा बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगा , जिसके वे पक्षकार हैं ।

### अनुच्छेद 22 - निर्णायक प्रावधान

- 1. मौजूदा संधि इस संधि के लागू होने की तिथि पश्चात् किए गए अनुरोध पर लागू होगा , चाहे संबंधित कार्य या चूक उस तारीख से पहले हुई हो ।
- 2. यह संधि अनुसमर्थन के आधार पर होगी तथा अनुसमर्थन पत्रों का आदान प्रदान यथाशीघ्र किया जाएगा । अनुसमर्थन पत्रों के आदान - प्रदान किए जाने की तारीख से यह संधि लागू होगी ।
- 3. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी भी समय लिखित नोटिस देकर इस संधि को समाप्त कर सकता है ; तथा यदि ऐसा कोई भी नोटिस प्रदान किया जाता है तो , इस नोटिस के प्राप्त होने की तिथि के छ : महीने के पश्चात् यह संधि समाप्त हो जाएगी।

जिसके साक्ष्य में , अधोहस्ताक्षरी ने अपनी - अपनी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष , 2016 के सितंबर माह के 14<sup>th</sup> दिन को हिंदी , दारी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो - दो मूल प्रतियों में संपन्न किया गया , जो समान रूप से प्रामाणिक हैं । निर्वचन में विचलन की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

भारत गणराज्य की सरकार

अफगानिस्ताम इस्लामिक गणराज्य

की ओर से

की सरकार की ओर से

[फा. सं. टी - 413/05/2015]

देवेश उत्तम, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

# MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS ORDER

New Delhi, the 1st March, 2021

**S.O. 977(E).**—WHEREAS, the Extradition Treaty between the Republic of India and the Islamic Republic of Afghanistan was signed at New Delhi on 14<sup>th</sup> day of September, 2016 and the Instruments of ratification of the said Treaty were exchanged at Kabul on 24<sup>th</sup> day of November 2019.

AND WHEREAS, the said treaty entered into force with effect from the 24<sup>th</sup> day of November 2019 in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 22 of the said Treaty;

AND WHEREAS, the said treaty is set out in full in the Schedule to this Order;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, shall apply to the Islamic Republic of Afghanistan with effect from the date of entry into force of the said extradition treaty.

#### EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA

#### AND

#### THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

The Government of the Republic of India and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan; hereinafter referred to as contracting states;

Desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition of offenders;

Recognising that concrete steps are necessary to combat terrorism;

Have agreed as follows:

### **Article 1: Duty to Extradite**

- 1. Each Contracting State undertakes to extradite to the other, in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who, being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2, committed within the territory of the one State, is found within the territory of the other State, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.
- 2. Extradition shall also be available in respect of an extradition offence as described in Article 2 committed outside the territory of the Requesting State but in respect of which it has jurisdiction if the Requested State would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such circumstances the Requested State shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.
- 3. In addition, extradition shall be available for an extradition offence as described in Art 2:
  - (a) if it is committed in a third State by a national of the Requesting State and the Requesting State bases its jurisdiction on the nationality of the offender; and
  - (b) if it occurred in the Requested State, it would be an offence under the law of that State punishable with imprisonment for a term of at least one year.

#### **Article 2: Extradition Offences**

- 1. An extradition offence for the purposes of this Treaty is constituted by conduct which under the laws of each Contracting State is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.
- 2. An offence may be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.
- 3. In determining whether an offence is an offence punishable under the laws of both Contracting States it shall not matter whether the law of both Contracting States place the act or omission constituting the offence within the same category of offence or denominate the offence by same terminology.
- 4. Extradition shall also be granted in respect of an attempt to commit or aiding, abetting, inciting or participating as an accomplice in the commission of an extraditable offence.

### **Article 3 – Composite Offences**

Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested State, if under the law of that State this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence in the territory of the Requesting State.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

### Article 4 – Central Authority

The Central Authority for the Republic of India shall be the Ministry of External Affairs and the Central Authority for the Islamic Republic of Afghanistan shall be the Ministry of foreign Affairs. Each Contracting State shall inform the other Contracting State of any change of the Central Authority through diplomatic channels.

#### Article 5 - Extradition of Nationals

Nothing in this Treaty shall preclude the extradition by the Requested State of its nationals either in respect of a territorial offence or in respect of an extraterritorial offence.

### **Article 6 - The Political Offence Exception**

- 1. Extradition may be refused if the offence of which it is requested is an offence of a political character.
- 2. For the purpose of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character:
  - (a) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, opened for signature at the Hague on 16 December, 1970;
  - (b) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, opened for signature at Montreal on 23 September 1971;
  - (c) an offence within the scope of the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, opened for signature at New York on 14 Dec 1973;
  - (d) an offence within the scope of the International Convention against the Taking of Hostages, opened for signature at New York on 18 December 1979;
  - (e) murder;
  - (f) manslaughter or culpable homicide;
  - (g) assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;
  - (h) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;
  - (i) the making or possession of an explosive substance by a person who intends either himself or through another person to endanger life or cause serious damage to property;
  - (j) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another persons to endanger life;
  - (k) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;
  - (l) damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;
  - (m) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage;
  - (n) incitement to murder;
  - (o) any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested party, not to be regarded as an offence of a political character;
  - (p) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts commit such an offence;
  - (q) any acts or omissions which are punishable as a criminal offence according to the obligations under multilateral treaties to which both Contracting States are Party.

#### Article 7 – Extradition and Prosecution

- 1. The request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that State.
- 2. Where the Requested State refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 1 of this Article, it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State.
- 3. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

#### Article 8 – Grounds for Refusal of Extradition

- 1. A person may not be extradited if:
  - (a) he satisfies the Requested State that it would, having regard to all the circumstances, be unjust or oppressive to extradite him by reason of:
    - (i) the trivial nature of the offence of which he is accused or was convicted; or
    - (ii) the passage of time since he is alleged to have committed it or to have become unlawfully at large, as the case may be; or
    - (iii) the accusation against him not having been made in good faith in the interests of justice; or
  - (b) the offence of which he is accused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law.
- 2. A person who has been convicted of an extradition offence may not be extradited therefor unless he was sentenced to imprisonment or other form of detention for a period of four months or more.
- 3. A person may not be extradited if he would, if proceeded against in the territory of the Requested State for the offence for which his extradition is requested, be entitled to be discharged under any rule of law of the Requested State relating to previous acquittal or conviction.

### **Article 9 – Postponement of surrender**

- 1. If criminal proceedings against the person sought are instituted in the territory of the Requested State, or he is lawfully detained in consequence of criminal proceedings, the decision whether or not to extradite him may be postponed until the criminal proceedings have been completed or he is no longer detained.
- 2. A person sought may not be extradited until:
  - (a) it has been decided in accordance with the law of the Islamic Republic of Afghanistan that he is liable to be extradited; and
  - (b) the expiration of any further period which may be required by the law of that State.

#### **Article 10 – Extradition Procedures**

- 1. The request for extradition under this Treaty shall be made through the diplomatic channel.
- 2. The request shall be accompanied by:
  - (a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his identity, nationality and residence;
  - (b) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested, and
  - (c) the text, if any, of the law:
  - (i) defining that offence; and
  - (ii) prescribing the maximum punishment for that offence.
- 3. If the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting State and by such

evidence as, according to the law of the Requested State, would justify his committal for trial if the offence had been committed in the territory of the Requested State, including evidence that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers.

- 4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, if shall also be accompanied:
  - (a) by a certificate of the conviction and sentence;
- (b) by a statement that the person is not entitled to question the conviction or sentence and showing how much of the sentence has not been carried out.
- 5. In relation to a convicted person who was not present at his trial, the person shall be treated for the purposes of paragraph (4) of this Article as if he had been accused of the offence of which he was convicted.
- 6. If the Requested State considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within such time as the Requested State shall require.

#### Article 11 – Provisional Arrest

- 1. In urgent cases the person sought may, in accordance with the law of the Requested State, be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the Requesting State.
- 2. The application for provisional arrest shall contain:
  - (a) an indication of intention to request the extradition of that person;
  - (b) a statement about the reason for urgency;
  - (c) Information concerning identity, nationality and probable location and a description of the person;
  - (d) A brief description of the offence and the punishment prescribed thereunder;
  - (e) A brief statement of the facts of the case, including if possible, the time and the location of the offence:
  - (f) A statement of the existence of a warrant of arrest or a judgement of conviction against the person.
- 3. The Requesting State shall be notified without delay of the result of its request.
- 4. A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is subsequently received.

### Article 12 – Rule of Specialty

- 1. Any person who is returned to the territory of the Requesting State under this Treaty shall not, during the period described in paragraph (2) of this Article, be dealt with in the territory of the Requesting State for or in respect of any offence committed before he was returned to that territory other than:
  - (a) the offence in respect of which he was returned;
- (b) any lesser offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his return other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made; or
- (c) any other offence in respect of which the Requested Party may consent to his being dealt with other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made or would not in fact be made.
- 2. The period referred to in paragraph (1) of this Article is the period beginning with the day of his arrival in the territory of the Requesting State or his return under this Treaty and ending forty-five days after the first subsequent day on which he has the opportunity to leave the territory of the Requesting State.

- 3. The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to offences committed after the return of a person under this Treaty or matters arising in relation to such offences.
- 4. A person shall not be re-extradited to a third State, except when, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered, he has not done so within sixty days of his final discharge, or has returned to that territory after having left it.

#### **Article 13 – Evidence**

- 1. The authorities of the Requested State shall admit as evidence, in any proceedings for extradition, any evidence taken on oath or by way of affirmation, any warrant and any certificate of, or judicial document stating the fact of, a conviction, if it is authenticated:
  - (a) in the case of a warrant being signed, or in the case of any original document by being certified, by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting State; and
  - (b) either by oath of some witness or by being sealed with the official seal of the appropriate Minister of the Requesting State; or
  - (c) In such other manner as may be permitted by the law of the Requested State.
  - 2. The evidence described in paragraph (1) shall be admissible in extradition proceedings in the Requested State whether sworn or affirmed in the Requesting State or in some third State.

### **Article 14- Competing Requests**

If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences is requested by a Contracting State and a third State with which the Requested State has an extradition arrangement, the Requested State shall determine to which State the person shall be extradited, and shall not be obliged to give preference to the Contracting State .

### Article 15 - Capital Punishment

If under the law of the Requesting State the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested State does not provide for the death penalty in a similar case, extradition may be refused unless the Requesting State gives such assurance as the Requested State considers sufficient that the death penalty will not be carried out .

#### Article 16 - Languages

While complying with this Treaty, the Contracting Parties shall use their national language, attaching a certified translation in the national language of the other Contracting Party or in the English language.

#### Article 17 - Surrender

- 1. If extradition is granted, the person sought shall be sent by the authorities of the Requested State to such convenient point of departure from the territory of that State as the Requesting State shall indicate.
- 2. The Requesting State shall remove the person sought from the territory of the Requested State within one month or such longer period as may be permitted under the law of the Requested State. If he is not removed within that period, the Requested State may refuse to extradite him for the same offence.

### Article 18 – Surrender of Property

- 1. When a request for extradition is granted, the Requested State shall, upon request and so far as its law allows, hand over to the Requesting State articles (including sums of money) which may serve as proof or evidence of the offence.
- 2. If the articles in question are liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State, the latter may, in connection with pending proceedings, temporarily retain them or hand them over on condition that they are returned.
- 3. These provisions shall not prejudice the rights of the Requested State or any person other than the person sought. When these rights exist the articles shall on request be returned to the Requested State without charge as soon as possible after the end of the proceedings.

### Article 19 – Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

### Article 20 - Documents and Expenses

- 1. If in any particular case the Requested State so requires, the Requesting State shall supply a translation of any document submitted in accordance with the provisions of this Treaty.
- 2. Expenses incurred in the territory of the Requested State by reason of the request for extradition shall be borne by that State.
- 3. The Requested State shall make all the arrangements which shall be requisite with respect to the representation of the Requesting State in any proceedings arising out of the request.

### Article 21 – Obligations under International Conventions/Treaties

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from International Conventions/Treaties to which they are parties.

#### **Article 22 – Final Provisions**

- 1. The present Treaty shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred prior to that date.
- 2. This Treaty shall be subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible. It shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.
- 3. Either of the Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other through the diplomatic channel; and if such notice is given the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.

In witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done at New Delhi on this 14<sup>th</sup> day of September 2016 in two originals each in Hindi, Dari and English languages, all being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government
Of the Republic of India

On behalf of the Government of the Islamic Republic of Afghanistan

[F. No. T-413/05/2015] DEVESH UTTAM, Jt. Secy. (CPV)